



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42060 सन् 2025

आफताब

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	आनन्द जी मिश्रा, कौशल कुमार पाण्डेय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 535 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत, थाना लोहिया नगर, जनपद मेरठ में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उनका कहना है कि आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा पशु का वध करने का आरोप असत्य है। उनका कहना है कि वर्तमान आवेदक के कब्जे से गो-वंश, गोमांस या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। आवेदक पशुओं की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त नहीं है। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 07.11.2025 को आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और दिनांक 10.11.2025 को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है, अतः आवेदक को और किसी अभिरक्षा-पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि आरोपित घटना का कोई स्वतंत्र अथवा सार्वजनिक साक्षी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक दिनांक 18.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है और रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सह-अभियुक्त इरशाद और अहसान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 35396 सन् 2025 एवं 39361 सन् 2025 में दिनांक 12.11.2025 एवं 17.11.2025 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के विरुद्ध जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किए गए चार अन्य प्रकरणों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।

5. समस्त उन तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक **आफताब**, जो उक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।